

स्थान में
को भेज

पेडा है।

19/12/2012

पत्रा. पेडा इंजी/ वकील वही अप.। वही का
दावा 09 RS के तहत खारिज किया जा
-पुडा है। अब इस प्रार्थना पत्र का कोई
महत्व नहीं रह जाता है। अतः प्रोपत्र 212
RTA खारिज किया जाता है।

